सत्यमेव जयते

राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
साधिकार प्रकाशित	Published by Authority

कार्तिक 12, गुरूवार, *शाके* 1944-नवम्बर 03, 2022

Kartika 12, Thursday , Saka 1944- November 03, 2022

भाग 6 (ख)

जिला बोर्डो, परिषदों एवं नगर आयोजना संबंधी, विज्ञप्तियां आदि।

नगरीय विकास विभाग

अधिसूचना

जयपुर, नवम्बर 02, 2022

संख्या प.17(1)नविवि/अभियान/2021 :-नगरीय विकास विभाग के लिए गठित मंत्रिमण्डलीय एम्पावर्ड समिति की चतुर्थ बैठक दिनांक 30.08.2022 के बिन्दु संख्या-24 पर लिये गये निर्णय एवं राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 90-क की उपधारा (4) एवं राजस्थान नगरीय क्षेत्र (कृषि भूमि का गैर कृषिक प्रयोजन के लिए उपयोग की अनुज्ञा और आवंटन) नियम, 2012 के नियम 9 के उप नियम (1) एवं नियम 16 के उपनियम (4) के अन्तर्गत नगर पालिकाओं के गठन से पूर्व या मास्टर प्लान लागू होने से पूर्व जो भी पहले हो में अवस्थित कृषि भूमियों, जिनका दिनांक 31.12.2021 से पूर्व अकृषि उपयोग होकर कॉलोनियां बस चुकी है एवं ऐसी कॉलोनियों के ले-आउट प्लान स्वीकृत हो चुके हैं अथवा सुओ मोटो सर्वे तथा धारा 90-ए(8) की कार्यवाही कर ले-आउट प्लान / सर्वे प्लान अब स्वीकृत किये जाने है, उन सभी में 120 वर्गमीटर तक के आवासीय भूखण्डों की प्रीमियम दरें प्रशासन शहरों के संग अभियान अवधि में निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है:-

क्र.सं.	प्रयोजन	क्षेत्रफल	नगर पालिका क्षेत्र में प्रीमियम दरें
1	आवासीय	120 वर्गमीटर	5 रूपये प्रति वर्गमीटर

लीज राशि आवासिक दर (उक्त प्रीमियम दरों की चार गुना) पर 10 वर्ष की एक मुश्त राशि फ्री होल्ड हेतु एवं 500 रूपये (जी+1) की भवन निर्माण स्वीकृति शुल्क लिया जाकर फ्री होल्ड पट्टा भवन निर्माण स्वीकृति के साथ दिया जाये।

यह अधिसूचना वित्त विभाग की आई डी संख्या 1022005751 दिनांक 28.10.2022 से अनुमोदित है।

नोट:- 120 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल हेतु अधिसूचना दिनांक 22.09.2022 के अनुसार प्रीमियम दरें देय होगी।

राज्यपाल की आज्ञा से,

डॉ. जोगाराम,
शासन सचिव,
स्वायत्त शासन विभाग।

कुंजीलाल मीना,
प्रमुख शासन सचिव,
नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।

राज्य केन्द्रीय मुद्रणालय, जयपुर।